न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

***राजस्व अपील :– 04/16 अन्तर्गत धारा 75* RLR Act**

अनवान :–

अपीलाण्टगण :– 1.राणाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट
निवासी पोशाल, तहसील चौहटन।

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. ग्राम पंचायत बीजराड़ जरिये सरपंच
2.पन्नाराम 3.अमराराम 4.गुसाईराम पि.पेमाराम 5.गोसाईराम
6.कंवराराम 7.बांकाराम पि.दमाराम 8.फूलीदवी बेवा दमाराम
9.दोलाराम पुत्र भीयाराम 10.भेराराम 11.कंवराराम 12.हरचंदराम
13.पूराराम 14.गोरखाराम पि.टीकमाराम 15.किशनाराम 16.तिलोकाराम
पि.जेताराम 17.गोमाराम 18.थानाराम पि.भारूराम 19.वाली पत्नि
भारूराम 20.गैरों पत्नि सोनाराम जाति जाट, निवासी पोशाल
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

वकील अपीलाण्टगण :– श्री वीरमाराम धारासर

निर्णय

दिनांक 25.05.2018

अपीलाण्ट ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ. विरूद्ध उतरदातागण पेश किया। जिसका सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट के पिता एवं उतरदाता सं. 2 से 19 के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि मौजा पोशाल तहसील चौहटन में खसरा सं. 40 रकबा 149.15 बीघा, खसरा सं. 117 रकबा 469.11 बीघा, कुल रकबा 619.06 बीघा आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी वक्त सेटलमेन्ट के समय अपीलाण्ट के पिता सोना व उतरदाता सं. 2 से 19 के पूर्वजों का कब्जा काश्त होने से उनके नाम से संयुक्त रूप से पर्चा लगान जारी हुआ । अपीलाण्ट के पिता दिनांक 11.01.08 का फौत हो गये जिसकी फौतगी का नामान्तरकरण सं. 208 दिनांक 05.03.2008 को स्वीकृत कर भरा गया जो उतरदाता सं. 1 ने पारित किया। जिस पर उतरदाता सं. 1 व हल्का पटवारी ने मृतक सोना के वारिशान की जांच किये बिना ही गलत रूप से अपीलाण्ट व उतरदाता सं. 20 को मृतक सोना के वारिशान बताकर पारित कर दिया जबकि मृतक सोना की पत्नि अर्थात अपीलाण्ट की माता का

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

नाम धाई था जो अपीलाण्ट के पिता से 20 वर्ष पूर्व फौत हो चुकी थी। इस कारण अपीलाण्ट के पिता सोना के फौत होने पर एकमात्र वारिश अपीलाण्ट ही था तथा सोना की फौतगी का म्यूटेशन अकेले अपीलाण्ट के नाम से पारित होना था।

उतरदाता सं. 1 ने नामान्तरकरण सं. 208 स्व. सोना के फोत होने पर गलत रूप से अपीलाण्ट व उतरदाता सं. 20 के नाम संयुक्त रूप से पारित करने भारी भूल की है। जिससे आलोच्य नामान्तरकरण निरस्त करने योग्य है। नामान्तरकरण आदेश पारित करने से पूर्व उतरदाता सं. 1 द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया जबकि धारा 121 से 126 रा.का.अ. के तहत किसी भी फौतगी नामान्तरकरण कार्यवाह में मृत व्यक्ति के विधिक वारिशों की निष्पक्ष जांच करना एवं जांच पश्चात प्रत्येक हितग्राही को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात नामान्तरकरण कार्यवाही करनी चाहिए। किन्तु उतरदाता सं. 1 ने अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। जो प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धान्तों के विपरित होने अपास्त योग्य है। स्व. सोना की मृत्यू के समय तत्कालीन सरपंच गांव का निवासी था तथा वह सोना एवं उसके वारिशान को निजी रूप से जानता था । उसके बाद भी उसने अपीलाण्ट अकेले नाम से नामान्तरकरण पारित नहीं किया एवं इस संबंध में कोई जांच व टिप्पणी नहीं की जिससे आलोच्य नामान्तरकरण विधि एवं तथ्यों की दुर्बलता से ग्रसित है एवं अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के पिता सोना के अन्य खातेदारी की भूमि मौजा खारिया डेर में खसा सं. 181 रकबा 29.18 बीघा में सोना की फौतगी पर अकेले अपीलाण्ट के नाम से नामान्तरकरण पारित किया गया । जिससे भी यह साबित होता है कि उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश खारिज करने योग्य है।

अतः निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार कर उतरदाता सं. 1 द्वारा मौजा पोशाल तहसील चौहटन के खेत खसरा सं0 40 रकबा 149.15 बीघा, खसरा सं. 117 रकबा 469.11 बीघा, कुल रकबा 619.06 बीघा के संबंध में पारित नामान्तरकरण सं. 208 दिनांक 05.03.2008 को निरस्त कर नये सिरे से उक्त खसरान के संबंध में उतरदाता सं. 20 का नाम हटाया जाकर सोना पुत्र खरथा के हिस्से की समस्त भूमि अपीलाण्ट अकेले के पक्ष में दर्ज करने हेतु नामान्तरकरण करने के आदेश फरमावे।

अपीलाण्टगण की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उतरदातागण सम्मन/नोटिस जारी किये गये। अपीलाण्टगण द्वारा लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों में नकल चालू जमाबन्दी मौजा पोशाल के खसरा सं. 40, 117 संवत् 2070 से 2073, चालू जमाबन्दी मौजा खारिया डेर के खसरा सं. 181 संवत् 2072 से 2075, नकल नामान्तरकरण सं. 208 की छायाप्रति पेश की।

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत / कोर्ट कैम्प बीजराड़ में पेश हुई। अपीलाण्टगण एवं उतरदाता सं. 20 उप. हुए । उपस्थित पक्षकारान ने राजीनामा पेश

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

किया। उतरदाता सं. 20 गैरों पत्नि सोनाराम ने कहा कि मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि मेरा नाम दिनांक 05.03.2008 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 208 में गलती से सोनाराम के वारिश के रूप में दर्ज हुआ। जिसे शुद्ध करके/ हटाकर केवल राणाराम पुत्र सोनाराम का नाम दर्ज किया जावे ।

पत्रावली का अध्ययन/अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि मौजा पोशाल तहसील चौहटन में खसरा सं. 40 रकबा 149.15 बीघा, खसरा सं. 117 रकबा 469.11 बीघा, कुल रकबा 619.06 बीघा में सोनाराम की फौतगी पर पारित नामान्तरकरण सं. 208 में अपीलाण्ट के साथ उतरदाता सं. 20 का नाम गलती से दर्ज हो गया था। उतरदाता सं. 1 द्वारा सोनाराम के विधिक वारिशान की जांच किये बिना ही तथा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नामान्तरकरण पारित कर दिया जो गलत एवं प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। चूंकि उतरदाता सं. 20 स्वयं इस बात से पूर्णतया सहमत है कि मेरा नाम दिनांक 05.03.2008 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 208 में गलती से सोनाराम के वारिश के रूप में दर्ज हुआ। जिसे शुद्ध करके/ हटाकर केवल राणाराम पुत्र सोनाराम का नाम दर्ज किया जावे ।

इस प्रकार न्यायालय के मतानुसार वादग्रस्त भूमि मौजा पोशाल तहसील चौहटन में खसरा सं. 40 रकबा 149.15 बीघा, खसरा सं. 117 रकबा 469.11 बीघा, कुल रकबा 619.06 बीघा के संबंध में उतरदाता सं. 1 द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 208 दिनांक 05.03.2008 खारीज योग्य है। अतः अपीलाण्टगण की अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.रा. अधिनियम स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा पोशाल तहसील चौहटन में खसरा सं. 40 रकबा 149.15 बीघा, खसरा सं. 117 रकबा 469.11 बीघा, कुल रकबा 619.06 बीघा के संबंध पारित नामान्तरकरण सं. 208 खारीज किया जाकर आज्ञा है कि उपरोक्त वादग्रस्त में उतरदाता सं. 20 का नाम हटाकर स्व.सोनाराम के विधिक वारिशान की सही जांच कर नये सिरे से नामान्तकरण पारित किया जावे।

निर्णय न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/ कोर्ट कैम्प बीजराड़ में दिनांक 25.05.2018 को मजमे आम में लिखकर सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । संख्या से कम हो।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

क्रमांक – रीडर/2018/1185 दिनांक 31.5.18

प्रेषित :–

तहसीलदार चौहटन

विषय :– राजस्व अपील सं. 04/16 अनवान राणाराम बनाम ग्राम पंचायत बीजराड जरिये सरपंच वगैरा में न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.05.2018 की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में विचाराधीन अपील सं. 04/16 अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.रा. अधिनियम में निर्णय दिनांक 25.05.2018 को पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2018 की पालना करते हुए पालना रिपोर्ट की सूचना 15 दिवस में पेश करे।

सलंग्न – निर्णय की प्रमाणित प्रति।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन